E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
IJAAS 2019; 1(1): 55-56
Received: 16-05-2019
Accepted: 19-06-2019

डॉ० नीतु गौरव
सहायक शिक्षिका, +2 एस. एम.उच्च विद्यालय बसैठ, बेनीपट्टी, मधुबनी, बिहार, भारत

Corresponding Author:
डॉ० नीतु गौरव
सहायक शिक्षिका, +2 एस. एम.उच्च विद्यालय बसैठ, बेनीपट्टी, मधुबनी, बिहार, भारत

भारत में भ्रष्टाचार : कारण और निवारण

डॉ० नीतु गौरव

सारांश
भारत में भ्रष्टाचार के व्यापक कारण हैं। इसके सूत्र नेता से लेकर प्रशासक तक में व्याप्त हैं। छोटे ओहदे वाले कलर्क से लेकर लाल बत्ती में चलने वाले बड़े ऑफिसर तथा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाते हैं। इन सभी का अपना–अपना मूल्य–निर्धारित है जिसे पाकर ये आराम से बिक जाते हैं। इस तरह पूरे देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में परिव्याप्त भ्रष्टाचार में बहुआयामी कारण हैं। जब तक इनमें नैतिकता का विकास न हो सकेगा, जब तक इनमें संतोष की भावना नहीं आयेगी, तब तक भ्रष्टाचार से मुक्ति की कल्पना करना कल्पना ही बनकर रह जाएगी।
सरकार और प्रशासन में बैठे हुए इमानदार लोगों के माध्यम से ही यह महत्त्वपूर्ण कार्य संभव हो सकेगा, जिन्हें कोई भी खरीद न सके। इनके प्रयास से ही एक उन्नत तथा भ्रष्टाचार मुक्त राज और समाज के स्वप्न देखा जा सकता है।

परिचय
भारतीय समाज और राजनीति में कई प्रकार की समस्याएँ अंतर्व्याप्त हैं, जिससे भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या हैं द्वितीय विश्वयुद्ध में भ्रष्टाचार की समस्या प्रशासन में पहली बार उग्र रूप में प्रकट हुई। इस समय लड़ाई में अरबों रुपयों के सैनिक सामान की खरीद, बार फंउ के चंदे की वसूल, खाद्य पदार्थों के परिवहन एवं सैकड़ों नवीन नियुक्तियों के कारण सरकारी कर्मचारियों के लिए अनैतिक रूप से आर्थिक लाभ कमाने के अवसरों में असाधारण वृद्धि हुई। सैनिक–सामग्री के ठेकेदारों और व्यापारियों ने अपना माल स्वीकार कराने के लिए इसे बड़ा प्रोत्साहन दिया। भ्रष्टाचार की बढ़ती हुई बुराई को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1941ई. में विशेष पुलिस संस्था बनाया। शुरू में इसका काम केवल भारत सरकार के युद्ध और पूर्ति विभागों से संबंध रखने वाले रिश्वत रिश्वतखोरी के मामलों का पता लगाना था। 1942ई. के अंत में इसे रेलवे विभाग के भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच का काम सौंपा गया। 1946 में इसके अधिकारों का विस्तार करते हुए इसके लिए एक विशेष कानून दिल्ली स्पेशन पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 बनाया गया। इसे गृह–विभाग का अंग बताते हुए इसके कार्य को बढ़ा दिये गए। 1953 में आयात–निर्यात के नियमों के भंग से संबद्ध अपराधों की जाँच के लिए इसमें भ्रष्टाचार निरोध शाखा को बढ़ाया गया। दस वर्ष बाद अप्रैल 1963 में केन्द्रीय जाँ ब्यूरो का निर्माण किया गया। विशेष पुलिस संस्थान को इसका अंग बनाया गया। यह राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर कार्य करता है, इसे न केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, अपितु भारत सरकार की सहायता से स्थापित किये जाने वाले सार्वजनिक उद्यमों में काम करनेवाले कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की तथा कंपनी, कानून और आयात–निर्यात के नियमों को भंग करने वाले व्यक्तियों के मामले की पड़ताल करने का पूरा अधिकार है। केन्द्रीय सतर्कता संगठन भी भ्रष्टाचार का शिकायतों की जाँच करके गृह मंत्रालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु परामर्श देते हैं।[1]
1966 में भू.पू. प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 1967 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें भ्रष्टाचार एवं सत्ता के दुरुपयोग के निवारणार्थ यह सुझाव दिया गया कि समस्या पर अंकुश लगाने के लिए लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना की जानी चाहिए। आयोग का यह भी सुझाव था कि मंत्रियों एवं सरकार के सचिवों के विरूद्ध प्रापत सत्ता के दुरूपयोग एवं भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जाँच हेतु लोकपाल तथा अन्य लोकसेवक अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के निपटारे हेतु लोकायुक्त की स्थापना की जानी चाहिए। आयोग का यह भी सुझाव था कि लोकायुक्त की नियुक्ति लोकपाल के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जानी चाहिए। आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत में लोकपाल की व्यवस्था तो अभी तक नहीं हो पायी है, परंतु महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, बिहार, आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, केरल तथा जम्मू कश्मीर राज्यों में लोकायुक्त प्रणाली प्रभावी है।[2]
अब हम उन प्रसंगों का उल्लेख करेंगे जो कि आखिरकार भ्रष्टाचार की उत्पत्ति का कारण क्या है? क्योंकि भ्रष्टाचार की उत्पत्ति किसी एक समय में अथवा किसी एक कारण से नहीं हुई है। इसकी उत्पत्ति दीर्घकालीन आर्थिक संलिप्तता के कारण हुई है। इसके लिए अनेक तत्त्व सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक उत्तरदायी हैं। सामान्यतः लोभ इसका एक सामान्य कारण है, लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है– संपत्ति, सत्ता, धान्य, शक्ति, प्रभाव एवं स्थिति भी भ्रष्टाचार की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार रहे हैं। परंतु इनके मध्य कोई विभाजक रेखा खींचना कठिन है।
प्रारंभ में यह समझा जाता था कि गरीबी के कारण लघु सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते हैं, किन्तु अमरीकी विभान निर्माता लॉकहॉक जैसी कंपनियों द्वारा विभिन्न देशों के प्रधानमंत्रियों और उच्चतम सरकारी कर्मचारियों को लाखों डालरों की रिश्वत देने के मामले प्रकाश में आ जाने के बाद यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट हो चुका है कि सभी देशों में

सभी सतरों के कर्मचारी एवं अधिकारी भ्रष्टाचार के दलदल में फँसे हुए हैं। विभिन्न देशों में इनके अलग–अलग कारण हैं। भारत में भ्रष्टाचार की उत्पत्ति और उसके फैलाव के लिए निम्न कारण उत्तरदायी हैं–

(1) युद्धकालीन अभाव एवं नियंत्रण
(2) युद्धोत्तर मुद्रा स्फीति
(3) विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था के मूल्यों में संघर्ष
(4) नियंत्रित राशण प्रणाली
(5) प्रशासन का विसतार
(6) घोर निर्धनता
(7) कार्यालयों की जटिल एवं बोझिल कार्य–पद्धति
(8) नैतिक मूल्यों के ह्रास एवं लालफीताशाही
(9) राजनीतिक हस्तक्षेप एवं चुनाव के पार्टी फंड
(10) लोक सेवाओं को प्राप्त संरक्षण

उक्त कारणों से भ्रष्टाचार की उत्पत्ति होती है। अब हम भ्रष्टाचार के निवारण की आवश्यकता पर विचार करेंगे तथा उन तत्त्वों के उदघाटन करेंगे, जिससे इस प्रकार अंकुश लगाया जा सकता है। इस क्रम में कहा जा सकता है कि सेवी वर्ग के लिए सच्चरित्रता का अभाव भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। भ्रष्टाचार से एक ओर जहाँ कर्त्तव्य परायणता एवं दक्षता में कमी आती है, वहीं दूसरी ओर इससे सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाई–भतीजावाद और पक्षपात जैसी समाज विरोधी गतिविधियों को प्रश्रय मिलता है। भ्रष्टाचार का दुष्प्रभाव होता है। इसके फलस्वरूप न केवल ऐसी गलतियाँ होती हैं, जिनको सुधारना कठिन हो जाता है, अपितु यह प्रशासन के ढाँचे की जड़ों को एवं प्रशासन में जनता के विश्वास को ही हिला देता है। अतः प्रशासन में भ्रष्टाचार के विरूद्ध एक निरंतर चलने वाला युद्ध छेड़ देना चाहिए।[3]
प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में सच्चरित्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया गया है। योजना के मुख्य प्रशासकीय कार्यों की सूची में भ्रष्टाचार को समापत करने के साथ–साथ सच्चारित्रता को जो स्थान दिया गया है एवं सार्वजनिक अधिकारियों से इस ओर विशेष ध्यान देने का जो आग्रह किया गया है, उससे स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार देश के सार्वजनिक विकास के लिए अत्यधिक घातक है।[4] भ्रष्टाचार के कारण पंचवर्षीय योजनाओं के लिए शासन द्वारा स्वीकृत धन राशि का दुरूपयोग संभव परंतु आज कल भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि सच्चारित्रता सेवी वर्ग के लिए त्याजय–सी हो गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में और संभवतः इस देश से, विशेषकर जीवन के अधिकांश क्षेत्रों में ही सच्चरित्रता को निकालकर फेंक दिया गया है। सच्चरित्र व्यक्तियों के उदाहरण धीरे–धीरे कहावत बनते जा रहे हैं। निरद सी चौधरी ने ठीक ही लिखा है कि ''छोटे–से कलर्क से लेकर मंत्री तक शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसे किसी न किसी मात्र में धन द्वारा नियंत्रित न किया जा सके।''[5] यह कथन संभवतः भारत में जीवन के सभी क्षेत्रों के संबंध में सत्य है भ्रष्टाचार की यह स्थिति देश के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास के लिए अत्यधिक घातक है। भ्रष्टाचार अनेक रूपों में देश के सर्वांगीण विकास में बाधक है। सामान्यतः निम्न कारणों से भ्रष्टाचार निवारण की आवश्यकता महसूस की जाती है–

1. स्वथ राजनीति विकास के लिए।
2. प्रशासन में दक्षता एवं कार्यकुशलता के बढ़ावा के लिए।
3. निर्माण कार्य तथा क्रय की जाने वाली वस्तु की श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए।
4. सत्ता के दुरूपयोग पर अंकुश के लिए।
5. सरकारी अतिथि गृहों/आवासों के दुरूपयोग पर अंकुश।
6. सार्वजनिक धन के अपव्यय पर नियंत्रण
7. प्रशासनिक कार्यकुशलता के लिए
8. आर्थिक शोषण रोकने के लिए
9. नैतिक मूल्यों की स्थापना तथा प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए।

इस प्रकार भ्रष्टाचार निवारण के बाद ही हम एक स्वस्थ राज और समाज की कल्पना कर सकते हैं।

निष्कर्ष

भारतीय समाज और भ्रष्टाचार का अपना नाभिलान संबंध हैं भ्रष्टाचार का आविर्भाव समाज में राजनीति के रास्ते हुआ है। अगर सत्ताधारी और प्रशासक पूरी तरह से सजग होकर अपनी नैतिकता का पालन करते हुए भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए कटिबद्ध हो जाए तो हम समझते हैं कि राज और समाज की सारी समस्याएँ मिज जाएँगी। सारी विकृतियाँ समाप्त हो जाएगी। इसके लिए आरंभ से ही प्रयास किया जाना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के तमात कारणों पर प्रहार कर उसके निवारण का प्रयास करना चाहिए। तभी हम एक साफ–सुथरे देश और समाज की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। तभी रामराज्य की कल्पना कर सकते हैं।

संदर्भ

1. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1947
2. टाइम्स ऑफ इंडिया, 16 सितम्बर, 1977, पृ.– 1
3. प्रथम पंचवर्षीय योजना, नई दिल्ली, योजना आयोग, 1952, पृ.– 115
4. द्वितीय पंचवर्षीय योजना, नई दिल्ली, योजना आयोग, 1956, पृ.– 127
5. करप्शन इन इंडिया पॉलिटिक्स, निरद सी. चौधरी, वाल्यूम– 6, नं.– 8, अगसत– 1968, पृ.– 20